रमेश सिंह

बनाम

भारत संघ व अन्य

(रिट याचिका (सी) संख्या 648/2002)

मार्च 11, 2008

(डा. अरिजीत पसायत, पी. सत्ताशिवम तथा आफताब आलम, जे.जे.)

सेवा कानूनः

रिट याचिका- सीमा सड़क संगठन तथा केन्द्र सरकार के कर्मचारीगण द्वारा सेना/सामान्य रिजर्व इन्जीनियरिंग बल के कर्मचारीगण के समान सेवा लाभों का दावा किया गया।

न्यायालय का निष्कर्षः उक्त बिन्दु पर चौथे तथा पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोगों द्वारा विचार किया जा चुका है तथा उनके द्वारा उक्त के संबंध में कोई भी सुझाव नहीं दिया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सुखदेव सिंह गिल बनाम पंजाब राज्य व अन्य को दृष्टिगत रखते हुए सेवा लाभों के संबंध में चाहा गया अनुतोष तथा प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई।

याचिकाककर्ता, जो कि एक कर्मचारी है, के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 132 के तहत एक रिट याचिका दायर की गई तथा उसके माध्यम से यह चाहा कि सर्वोच्च न्यायालय संबंधित अधिकारी को इस आशय से निर्देशित करे कि वे सीमा

सड़क संगठन तथा केन्द्र सरकार के कर्मचारीगण को सेना/सामान्य रिजर्व इन्जीनियरिंग बल के कर्मचारीगण की तरह ही सेवा लाभों में समानता प्रदान करें।

याचिकाकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि आर.विश्वन व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य के मामले में हाजा न्यायालय द्वारा संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वे सेवा लाभों के संबंध में समानता की अनुमति प्रदान करें।

प्रत्यर्थी- भारत संघ द्वारा यह तर्क दिया गया कि आर.विश्वन व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य के मामले में, सेवा लाभों में समानता की अनुमति प्रदान करने हेतु कोई निर्देश नहीं दिये गये हैं।

याचिका खारिज करते हुए इस न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया किः

सुखदेव सिंह गिल के मामले में दिये गये निष्कर्ष तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि चौथे एवं पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोगों द्वारा उक्त बिन्दु पर पूर्व में विचार किया जा चुका है, अतः चाहा गया अनुतोष प्रदान किये जाने योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त, विशेष रूप से जब चौथे एवं पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोगों द्वारा दिए गए सुझावों को किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं दी गई है, तो उक्त बिन्दु पर विचार किया जाना उचित नहीं है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि यदि ऐसी कोई चुनौती दी भी जाती है, तब भी हस्तक्षेप की गुंजाईश अत्यधिक सीमित है क्योंकि सामान्यतः न्यायालय वेतन आयोग जैसे विशेषज्ञ निकायों के सुझावों में हस्तक्षेप नहीं करता है जब तक कि कुछ स्पष्ट दुर्लभताओं को सामने आना दर्शित नहीं हो रहा हो। (पैरा-6) (771-बी, सी)

सुखदेव सिंह गिल बनाम पंजाब राज्य व अन्य (2000) 8 एस.सी.सी. 492-पर निर्भर होकर उक्त तर्क के संबंध में बल प्राप्त किया गया।

आर.विश्वन व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य (1983) 3 एस.सी.सी. 401- लागू नहीं होना पाया गया।

दीवानी प्रकरणों बाबत् मूल क्षेत्राधिकारः रिट याचिका (दीवानी) संख्या 648 सन् 2002

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत

अनघा एस. देसाई, सत्यजीत ए. देसाई तथा वेंकटेश्वर राव अनुमोल याचिकाकर्ता की ओर से।

बी.दत्ता, ए.एस.जी., टी.एस. दोआबिया, सावित्री पाण्डेय, किरन भारद्वाज तथा अनिल कटियार-प्रत्यर्थी की ओर से।

यह निर्णय डा. अरिजीत पसायत, जे. के द्वारा सुनाया गया-

1. भारत के संविधान 1950 (संक्षेप में "संविधान") के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका में शिकायत यह है कि सेवा लाभों के मामले में सेना के कर्मियों और सामान्य रिजर्व इंजीनियरिंग बल के कर्मचारीगण के मध्य समानता होनी चाहिए। याचिकाकर्ता का यह तर्क भी रहा है कि वह तथा अन्य कर्मचारी सीमा सड़क संगठन में कार्यरत हैं, अतः भारत सरकार उन्हें सशस्त्र के सदस्यों जैसा ही समान दर्जा देने हेतु बाध्य है। इसके साथ ही अन्य लाभों जैसे कि भत्ता भुगतान आदि भी समान रूप से मिलना चाहिए। इसी बाबत् इस न्यायालय के निर्णय आर.विश्वन व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य (1983 (3) एस.सी.सी. 401) का हवाला दिया जाकर यह तर्क दिया गया है कि उक्त वर्णित मामले में इस न्यायालय में इसी क्रियाविधि को अपनाने के निर्देश दिए थे। इस तथ्य पर भी ध्यान आकर्षित करवाया गया है कि चौथे व पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोगों द्वारा उक्त संबंधित मुद्दों पर उचित दृष्टिकोण से विचार नहीं किया है।

2. इसके विपरीत विद्वान अतिरिक्त सोलिसीटर जनरल श्री बी.दत्ता द्वारा दौराने बहस यह तर्क दिया गया है कि उपरोक्त वर्णित आर.विश्वन के मामले में समानता देने का कोई निर्देश नहीं दिया गया था तथा याचिकाकर्ता द्वारा गलत तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। जबकि, सुखदेव सिंह गिल बनाम पंजाब राज्य व अन्य (2000 (8) एस.सी.सी. 492), में इस न्यायालय द्वारा, अन्य बिंदुओ के साथ, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि इस तरह की क्रियाविधि की अनुमति नहीं है।

3. उपरोक्त वर्णित आर.विश्वन के मामले में, अन्य बिंदुओ के अलावा, निम्नलिखित बिन्दु अभिनिर्धारित किया गया हैः

> ''11. इस तथ्य पर गौर करना आवश्यक है कि हमारे समक्ष एक परिवाद इस आशय का पेश किया गया था जिसमें याचिकाकर्ताओ द्वारा यह कहा गया था कि जी.आर.ई.एफ. इकाईयों में तैनात सेना के कर्मियों और जी.आर.ई.एफ. के अन्य अधिकारियों और कर्मियों के बीच वेतन, भत्ते तथा राशन जैसी सेवाओ को लेकर काफी असमानता है। हमारे द्वारा इस बिन्दु पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या यह परिवाद चलने योग्य तथा न्यायोचित है। इस प्रक्रम पर इस तथ्य से भी इंकार नहीं किया जा सकता है तथा ऐसा संभव है कि यह पूर्ण रूप से अनुचित प्रकृति का नहीं है। परंतु हम इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि किसी भी स्थिति में यह इस बिन्दु से कदापि संबंधित नहीं है कि क्या जी.आर.ई.एफ. के सदस्यों को सशस्त्र बलों का सदस्य कहा जा सकता है। चूंकि जी.आर.ई.एफ. के सदस्य दो अलग-अलग स्त्रोतों से तैयार किए जाते हैं, इसी कारण से यह संभव है कि दोनो स्त्रोतों से आने वाले कर्मियों की सेवा की शर्तें अलग-अलग

हों। जी.आर.ई.एफ. इकाईयों में तैनात सेना के जवान स्वभाविक रूप से सेवा के अपने नियत व शर्तें रखते हैं, जबकि अन्य अधिकारी और कार्मिक जो जी.आर.ई.एफ. में काम करते हैं, उन पर अपने विशिष्ट शर्तें लागू होती हैं। इस बिन्दु का विवेचन करना कठिन है कि कैसे जी.आर.ई.एफ. कर्मियों के बीच सेवा के नियम और शर्तों का दो अलग-अलग स्त्रोतों से आने के कारण, जी.आर.ई.एफ. जो कि सशस्त्र बल का एक अभिन्न बल है, के चरित्र पर प्रभाव पड़ सकता है। इस उद्देश्य के लिए यह निर्धारित करना महत्वहीन है कि क्या जी.आर.ई.एफ. के सदस्य सशस्त्र बल के सदस्य हैं और कि जी.आर.ई.एफ. के सदस्यों की सेवा की क्या शर्तें है और क्या उनकी सेवा की शर्तें जी.आर.ई.एफ. में नियुक्त सशस्त्र बल के कर्मियों के समान है। परंतु, हमारे मत में, यदि यह पाया जाता है कि जी.आर.ई.एफ. में सीधे भर्ती या प्रतिनियुक्ति पर लिए गए अधिकारियों और कार्मिकों की सेवा के नियम और शर्तें किसी भी तरह से जी.आर.ई.एफ. में नियुक्त सशस्त्र बल के कार्मिकों से कम है, तो ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार इस संबंध में उचित कदम उठा सकती है तथा यह सुनिश्चित कर सकती है कि जी.आर.ई.एफ. इकाईयों तथा अन्य क्षेत्रों में तैनात सेना के कर्मियों तथा जी.आर.ई.एफ. में नियुक्त अधिकारियों और कार्मिकों की सेवा के नियम और शर्ते जैसे वेतन, भत्ते, राशन आदि के बीच यदि कोई असमानता हो तो उसे हटा दिया जाना चाहिए। ''

4. तत्पश्चात्, भारत संघ बनाम दिनेशन के.के. (2008 (1) एस.सी.सी. 583) के पैरा 10 में इस न्यायालय द्वारा यह पाया गया है किः

''10. भारत संघ की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सोलिसीटर जनरल श्री बी.दत्ता द्वारा यह तर्क दिया गया था कि उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश स्पष्ट रूप से इस न्यायालय द्वारा स्थापित कानूनी स्थिति से विपरीत है। इस न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भुगतान का निर्धारण जो कि प्रमुख रूप से एक शासनात्मक कार्य है, आम तौर पर एक विशेषज्ञ निकाय जैसे कि वेतन आयोग द्वारा किया जाता है, जिसके सुझाव, महत्व अवश्य ही रखते हैं, परंतु उक्त सुझावों से सरकार पूर्ण रूप से बाध्य नहीं होती है। यह भी तर्क दिया गया था कि एक विशेषज्ञ निकाय के सुझाव न्यायसंगत नहीं है और चूंकि न्यायालय नौकरी के मूल्यांकन के कार्य, जो कि एक जटिल कार्य है, को अपने ऊपर लेने के लिए सुसज्जित नहीं है। उक्त तर्कों के संबंध में इस न्यायालय के दो फैसलों पर निर्भरता रखी गई हैः- एस.सी.चन्द्रा बनाम झारखण्ड राज्य (2007 (8) एस.सी.सी. 279) और भारत संघ बनाम हीरनमोय सैन (2008 (1) एस.सी.सी. 630)''

5. उपरोक्त वर्णित आर.विश्वन के निर्णय जिसे चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के उद्धरण जो कि पैरा 10.472 में अंकित किया गया है, के अवलोकन से यह सामने आता है कि जिस प्रकार का तर्क याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया है, उसके संबंध में किसी भी समानता की कोई गुजाईश नहीं है। यही स्थिति पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट में भी पाई गई है।

6. सुखदेव सिंह गिल के निर्णय में जो कहा गया है, उसे ध्यान में रखते हुए तथा इस तथ्य पर गौर करते हुए कि चौथे और पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोगों के

सुझावों को विशेष रूप से कोई भी चुनौती नहीं दी गई है, तो ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता द्वारा चाहा गया अनुतोष तथा प्रार्थना स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। इस बात का उल्लेख करना भी आवश्यक है कि यदि ऐसी चुनौती दी भी गई हो, तो उसमें हस्तक्षेप की गुंजाईश बेहद सीमीत है क्योंकि न्यायालय सामान्यतः अपने विचार, वेतन आयोग जैसे विशेषज्ञ निकायों के सुझावों के संबंध में प्रकट नहीं करता है जब तक कि कुछ स्पष्ट दुर्लभताओ का सामने आना दर्शित नहीं हो रहा हो या ऐसा स्थापित नहीं किया गया हो।

7. रिट याचिका अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

रिट याचिका खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी आकांक्षा मीना (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।